

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-3
संख्या-818/9-3-16-18सी/2016टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 जल निगम को शासकीय विभाग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--------------|
| (1) | कृषि उत्पादन आयुक्त | - | अध्यक्ष |
| (2) | प्रमुख सचिव वित्त विभाग | - | सदस्य |
| (3) | प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग | - | सदस्य |
| (4) | प्रमुख सचिव, नियोजन | - | सदस्य |
| (5) | प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | - | सदस्य |
| (6) | सचिव, नगर विकास विभाग | - | सदस्य |
| (7) | प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम | - | सदस्य/संयोजक |

2. उक्त समिति द्वारा उ0प्र0 जल निगम के वर्तमान स्वरूप तथा वित्तीय / प्रशासनिक समस्याओं के स्थायी समाधान, सेन्टेज में वृद्धि, कार्यभार में वृद्धि, निगम कर्मियों के पेंशन तथा व्ययों को शासन द्वारा वहन किये जाने आदि बिन्दुओं पर विचार करेगी तथा अपनी संस्तुति शासन को एक पक्ष में उपलब्ध कराएगी।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- (2) मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- (3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (5) सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- (7) निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (8) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।